



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232715
CG-DL-E-18012022-232715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]
No. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 268(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 21 सितंबर, 2021 और 20 दिसंबर 2021 को क्रमशः प्रकाशित दिनांक 21 सितंबर, 2021 की अधिसूचना का.आ. 3904 (अ) और दिनांक 20 दिसंबर 2021 की का.आ. 5310 (अ) के क्रम में भारत के उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से 31 अक्तूबर 2024 तक की शेष अवधि के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट गठित करने के प्रयोजन से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम के तहत अध्याय II (ख) के विनियम 34 के साथ पठित, एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (च) में उल्लिखित श्रेणियों के अधीन, पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के सामान्य अध्येता के रूप में दिनांक 18 जनवरी, 2022 को निम्नलिखित व्यक्तियों के निर्वाचन का अनुमोदन किया है :

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत

1.	डा. इंद्रपाल सिंह सिद्धू, एम.एससी, पीएच.डी, (प्राणी विज्ञान), सहायक प्रोफेसर, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, सेक्टर 26, चंडीगढ़
2.	डा. हरप्रीत सिंह दुआ, एम.ए., पीएच.डी, सह - प्रोफेसर, गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज, लुधियाना
3.	डा. के.के. शर्मा, एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी, आईसीडब्ल्यूआई (आईएनटी.), सह - प्रोफेसर, ए.एस. कॉलेज, खन्ना, लुधियाना
4.	डा. शर्मिंदर सिंह संधू, पीएच.डी, सहायक प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़
5.	श्री जगदीप कुमार, एम.ए (राजनीति विज्ञान), एम.फिल, सहायक प्रोफेसर, खालसा कॉलेज घर्धीवाला, होशियारपुर
6.	डा. जगदीश चन्द्र, एम.ए. समाजशास्त्र, (स्वर्ण पदकधारी), पीएच.डी, सह - प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़
7.	डा. जगतार सिंह, एम.पी.एड, एम.फिल, पीएच.डी, सहायक प्रोफेसर, श्री गुरु गोबिंद कॉलेज, सेक्टर 26, चंडीगढ़

उपर्युक्त अनुमोदन उक्त अधिनियम के अधीन अध्याय II (ख) के विनियम 19.1 और 19.2 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन किसी याचिका में पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के निर्णय से पूर्वाग्रह रहित है।

2. इन सामान्य अध्यक्षताओं का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2024 तक रहेगा।

[फा. सं. वीपीएस-15/02/एस3/20]

आई. वी. सुब्बा राव, भारत के उपराष्ट्रपति
और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 268(E).—In continuation of the Notifications S.O. 3904(E) dated 21st September, 2021 and S.O. 5310 (E) dated 20th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 21st September, 2021 and 20th December, 2021 respectively for the purpose of constituting the Senate of the Panjab University for the residual period of term until 31st October, 2024, the Vice President of India in his capacity as the Chancellor of the Panjab University, Chandigarh has approved the election of the following persons on 18th January, 2022, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Panjab University Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act), read with Regulation 34 of Chapter II(B) under the said Act, as Ordinary Fellows to the Senate of Panjab University under the category enumerated in clause (f) of sub-section (1) of section 13 of the said Act:

Under clause (f) of sub-section (1) of section 13

1.	Dr. Inderpal Singh Sidhu, M.Sc., Ph.D. (Zoology), Assistant Professor, Sri Guru Gobind Singh College, Sector 26, Chandigarh
2.	Dr. Harpreet Singh Dua, M.A., Ph.D., Associate Professor, Gujranwala Guru Nanak Khalsa College, Ludhiana
3.	Dr. K.K. Sharma, M. Com., M.Phil, Ph.D., ICWAI (Int.), Associate Professor, A.S. College Khanna, Ludhiana
4.	Dr. Shaminder Singh Sandhu, Ph.D., Assistant Professor, DAV College, Sector 10, Chandigarh
5.	Shri Jagdeep Kumar, M.A. (Political Science), M.Phil., Assistant Professor, Khalsa College Ghardiwala, Hoshiarpur
6.	Dr. Jagdish Chander, M.A. Sociology, (Gold Medallist), Ph.D., Associate Professor, DAV College, Sector 10, Chandigarh
7.	Dr. Jagtar Singh, M.P.Ed., M.Phil., Ph.D., Assistant Professor, Sri Guru Gobind College, Sector 26, Chandigarh

The above approval is without prejudice to the decision of the Chancellor of Panjab University in any petition under section 38 of the said Act read with regulations 19.1 & 19.2 of Chapter II(B) under the said Act.

2. The term of these Ordinary Fellows shall be until 31st October 2024.

[F. No. VPS-15/02/S3/20]

I. V. SUBBA RAO, Secy. to Vice-President of India
& Chancellor of the Panjab University